अधिकारी बाहर
No. 18/4/16 को पेश हो।

18/12/15 वास्ते दुरुस्ती वकील के पत्रा. दिनांक 1-2-16 को पेश हो तब तक T.9 की अवधि बढ़ाई जाती है

1/2/16 वकील वादी अगर पुनः तलबाना पेश करें। फरामशी वास्ते तलबी प्रति दिनांक 28/3/16 को पेश हो। तब तक T-9 की अवधि बढ़ाई जाती है

28/3/16 फुलाद फरीकन/वादी/उपस्थित वीडियोग्राफर अधिकारी बाहर पधारे हैं आगे की पत्रावली No. 13.6.16 को पेश होवे।

2/5/16 पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 21-6-16 को पेश हो।

21/6/16 आवेदक पत्रा. कैम्प कोर्ट में पेश हुई प्रार्थी का कोई विवाद होने से प्रार्थी के प्रा.पत्र पत्रा. का आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है पत्रा. नस्ती से कम हो। कोई तकरीर दस्तियाब दफ्तर की बाबत रिपोर्ट कैम्प कोर्ट में निलाम बाबत हुआ गया।

अं.नि.

जीवधर

अं.नि.

विमला.

Scanned by CamScanner